न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 13/24 (अपील)

GCMS No. : 2024/510

अनवान्

1. नारायणलाल पिता देवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. वेणीराम पुत्र कन्ना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. लोगरी माता स्व० दोलीबाई (पुत्री देवा) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी राणाकुई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. सरपंच, ग्राम पंचायत रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री चुन्नीलाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ।
3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रख्यावल नामान्तरकरण संख्या 1031 तारीख 09.10.2024 मौजा विठोली, तहसील घासा

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 24.04.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव विठोली, पटवार क्षेत्र रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 1036, 1229, 1242, 1243, 1244, 1245, 1249, 1250, 1254, 1262, 1263, 1267, 1567/1350, 1569/1368 किता 14 कुल रकबा 5.2691 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024, 1253, 1258, 1415, 1416, 1417,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

1418, 1419, 1420, 1421, 1425, 1426 किता 11 कुल रकबा 1.6836 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024 किता 3 कुल रकबा 0.1458 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1311 रकबा 1.8535 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम 129/916 हिस्से एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 129/916 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.3561 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के नाम 18941/114996 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 18941/114996 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1423 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1568/1351 रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1260 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के नाम 1/12 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है।

2. यह कि अपील की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि बाबत् मुझ अपीलान्ट के पिता द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मुझ अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित हक हिस्से को अपने खातेदारी हक का घोषित करवाये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध माननीय न्यायालय आपमें एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 195 सन् 2022 (वाद) पर पंजीबद्ध हुआ जिसमें बावजूद सूचना के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई और उक्त वाद मुझ अपीलान्ट के पक्ष में एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध स्वीकार कर दिनांक 10.04.2023 को निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित हक हिस्से का वसीयत अनुसार मुझ अपीलान्ट को खातेदार घोषित फरमाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

गया और निर्णय व डिक्री की पालना होकर उक्त भूमि मुझ अपीलान्ट के नाम पर रेकार्ड में दर्ज हुई।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना जानबुझकर अनुपस्थित रही जिससे इसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित किया था लेकिन इसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दो तरफा कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन किया जो कि प्रकरण संख्या 136/23 विविध पर दर्ज हुआ जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे मुझ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद वर्तमान में प्रकरण संख्या 146/24 वाद पर पंजीबद्ध होकर विचाराधीन हैं।

4. यह कि एकतरफा निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन पर न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री के पूर्व की रिकोर्ड की स्थिति बहाल रखने के आदेश दिये गये जिससे मुझ अपीलान्ट के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम भी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हो गया। जबकि मौके पर मैं अपीलान्ट अपने पिता के वक्त से निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ तथा वर्तमान में कुलिया भूमि मुझ अपीलान्ट के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है और उक्त भूमि के इंन्च मात्र भू भाग पर कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा काश्त या उपयोग उपभोग नही रहा हैं। लेकिन उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम दर्ज हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन की जानकारी होते हुए दोराने दावा अपने नाम अंकित भूमि का नुमाईशी दान पत्र अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया और इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने बिना कोई ठोस जाँच पड़ताल किये एवं बिना कोरम के दौराने दावा दिनांक 09.10.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नुमाईशी दान पत्र के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 1031 स्वीकृत कर दिया हैं। जबकि रेस्पोडेन्ट्स के ऐसा करने का कोई कानुनी अधिकार नही था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किया गया आराजीयात का दान सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 (ए) के अन्तर्गत अवैध होने से भूमि दावेदार (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के पक्ष में अन्तरित नही हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को भी उक्त सभी तथ्यों की प्रत्यक्षतः एवं सुस्पष्ट जानकारी होते हुए भी विवादित भूमि का नामान्तरकरण पारित करने में जानबूझ कर कानूनी भूल की गई है जिससे दुःखी एवं पीड़ित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

5. यह कि नामान्तरकरण का मामला संक्षिप्त जाँच एवं कार्यवाही की प्रकृति का होने से व आराजीयात के संबंध में माननीय उपखण्ड अधिकारी, मावली के यहां वाद विचाराधीन होने के पश्चात् उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तरकरण नही खोलना चाहिए था और ऐसे मामलों में जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो जाता तब तक वादग्रस्त आराजीयात को उसी स्थिति में रखना आवश्यक होता है। अतएव रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है व राजस्व अभिलेख में इस विवादित नामान्तरकरण की पूर्व स्थिति पुनः कायम करायी जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रख्यावल का कथित आदेश न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरित होकर अवैद्य होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण को पास करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। दिनांक 10.11.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मेरे कब्जे काश्त की जमीन पर आकर मुझ अपीलान्ट को कहा कि लोगरी ने उसके नाम अंकित जमीन को मुझे दान कर दी है और जमीन मेरे खाते भी हो गई है, अब तुम तुम्हारा कब्जा हटा लेना वरना जबरन कब्जा हटवा दूंगा। इसके बाद मैने पटवारी हल्का के पास जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि उक्त भूमि तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये दान से उक्त भूमि विवादित नामान्तरकरण के जरिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है जिसके पश्चात् मुझ अपीलान्ट ने दिनांक 11.11.2024 को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। इससे पूर्व मुझ अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी न है। जिससे अपीलान्ट की ओर से जानकारी की दिनांक 11.11.2024 से अपील अन्दर अवधि पेश है फिर भी अपीलान्ट की ओर से दफा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

6. अंत में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 09.10.2024 विधि विरूद्ध हस्तान्तरण, कब्जे के वास्तविक हस्तान्तरण [illegible] बिना सभी वैधानिक उपबन्धों एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

नियमों को ताक में रखकर विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण एवं उसके परिणाम स्वरूप राजस्व अभिलेख में किया गया परिवर्तन निरस्त फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख की पूर्व स्थिति बहाल कराने की अनुकृपा करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

7. अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1031 के पारित होने की जानकारी मुझ अपीलाण्ट/प्रार्थी को पूर्व में नही थी किन्तु दिनांक 10.11.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मेरे कब्जे काश्त की जमीन पर आकर मुझ अपीलाण्ट को कहा कि लोगरी ने उसके नाम अंकित जमीन को मुझे दान कर दी है और जमीन मेरे खाते भी हो गई है। अब तुम तुम्हारा कब्जा हटा लेना वरना जबरन कब्जा हटवा दूंगा। इसके बाद मैंने पटवारी हल्का के पास जाकर पता किया तो जानकारी हूई कि उक्त भूमि तो रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा किये गये दान से उक्त भूमि विवादित नामान्तरकरण के जरिए रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है जिसके पश्चात मुझ अपीलाण्ट ने दिनांक 11.11.2024 को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और अपील वांछित दस्तावेज प्राप्त कर पेश की जा रही है। मुझ प्रार्थी/अपीलाण्ट ने जानबुझकर कोई गलती नही की है। देरी का उचित कारण है। इससे पूर्व मुझ अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। अंत में निवेदन किया कि अपीलाण्ट की ओर से अपील को स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 09.10.2024 से अपील प्रस्तुति तक की अवधि को कण्डोन फरमायी जावे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस करना चाहा।

9. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अन्दर मयाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलाण्टस को सुने बिना विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मामले के अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 आपस में भाई [illegible] रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अपीलाण्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

भान्जा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का पुत्र है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की पैतृक कृषि भूमि है जिसके सम्बन्ध में नियमित राजस्व वाद बअनवान नारायणलाल बनाम लोगरी प्रकरण संख्या 195/2022 राजस्व वाद एवं वेणीराम बनाम गंगा बाई प्रकरण संख्या 57/2025 राजस्व वाद लम्बित है जिनमें प्रकरण के सभी पक्षकारान के हक अधिकारो का निर्धारण होना है। प्रश्नगत नामान्तरण पंजीबद्ध दान–पत्र के आधार पर विधिवत् रूप से तस्दीक किया गया है तथा जब तक दान–पत्र निरस्त नही होता है तब तक नामान्तरण निरस्त नही किया जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा दान–पत्र को निरस्त करवाये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नही की है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरणकरण संख्या 1031 दिनांक 09/10/2024 की अपील प्रस्तुत करने का अपीलाण्ट को कोई हक अधिकार नही है, ना तो अपीलाण्ट ने प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने बाबत् धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट बेहद चालाक एव धुर्त किस्म का व्यक्ति हो जो कि येनकेन प्रकारेण वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पैतृक हक हिस्से को हड़प जाना चाहता है इसी दृष्टि से अपीलाण्ट ने अपने रिश्तेदार एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कुटरचना करके तथाकथित वसीयत बना ली जिस पर देवा जी डांगी के कोई हस्ताक्षर ही नही है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को जानकारी होने पर एफ.आई.आर संख्या 167/2023 पुलिस थाना थाना मावली में दर्ज करवाई गई जो कि जैर अनुसंधानरत है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त जमीन हड़पने के लिए षड़यंत्रपूर्वक एक राजस्व वाद संख्या 195/2022 नारायण बनाम लोगरी प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का निवास स्थान गोविन्दपुरा तह० घासा के बजाय ग्राम राणा कुई तहसील वल्लभनगर लिखाया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का राणा कुई तहसील वल्लभनगर में कोई निवास स्थान है ही नही और गोविन्दपुरा तथा विठोली के अलावा अन्य कही रही ही नही। अपीलाण्ट ने धोखे से जमीन हपड़पने के लिए भारी षड़यंत्र करके बिना किसी तामिल के बिना रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को बताये वास्तविक तथ्य एवं नाम पते छिपाकर उक्त मामले 195/2022 राजस्व वाद में न्यायालय आप श्रीमान को मुगालते में रखकर डिक्री स्वयं अपीलाण्ट के पक्ष में करवा ली गई जिसको देखने मात्र से अपीलाण्ट का कपट प्रकट होता है। उक्त बाबत् वास्तविकता आप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में प्रकट होने पर तथाकथित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/08/2024 को अपास्त कर दिया गया है। जो प्रकरण विचाराधीन होकर यह अपील प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। आज भी मौके पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भौतिक रूप से काबिज होकर भूमि का उपयोग– उपभोग कर रहा है तथा गेहूं की फसल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्राप्त की है। अपीलाण्ट जिस वसीयत का कथन करता है वैसी वसीयत कभी भी स्वर्गीय देवा जी ने निष्पादित ही नही की है अपीलाण्ट द्वारा उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर यह अपील तब तक स्वीकार योग्य नही है जब तक नियमित वाद जो कि लम्बित है, उनका निर्धारण साक्ष्य व सबुत से ना हा जावे। यदि अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद में सफल हो जाता है तो प्रश्नगत नामान्तरण स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। अपीलाण्ट ने अपील की कलम संख्या 2, 3 व 4 मे जो कथन अंकित किये है वह साक्ष्य के मौहताज होकर मूल वाद में साबित एवं नासाबित होगें। नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी प्रक्रिया है तथा उक्त अपील से पडथकारान के हक अधिकार निर्धारित नही होगें साथ ही नियमित राजस्व वाद लम्बित है ऐसी स्थिति में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नियमित राजस्व वाद के लम्बित होते हुए सरसरी प्रक्रिया के आधार पर अपील के माध्यम से राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया जाना कतई सम्भव नही है। आज की तारीख में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में खातेदार, काश्तकार होकर मौके पर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है ऐसी स्थिति में उक्त सरसरी कार्यवाही के आधार पर अपीलाण्ट खाते में रद्दोबदल करवाकर मौके पर भारी तनाव एवं विवाद उत्पन्न करके रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि से जबन बेदखल करने की मन्शा रखता है एवं आये दिन धमकियां दे रहा है। नियमित वाद के लम्बित रहते किसी भी नामान्तरण के खोले जाने में कोई रोक नही है, ना ऐसा कोई कानून है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् निष्पादित दान–पत्र में नामान्तरण नही खोला जा सकता है। चूकिं उक्त मामले में में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई निषेधाज्ञा उक्त बाबत् नही रही थी इसलिए प्रश्नगत नामान्तरण विधिवत् रूप से तस्दीक हुआ है जो कि पूर्णतया विधि सम्मत होकर अपील अपीलाण्ट निरस्त योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई चूकि अथवा अनियमितता नही की है विधिवत् निष्पादित दानपत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक हुआ है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी सूरत में निरस्त होने योग्य नही है अपितु अपीलाण्ट की अपील निरस्तनीय है। अपीलाण्ट के कोई हक अधिकार प्रभावित होने की कोई गुन्जाईश नही है क्योकि अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि आज भी अपीलाण्ट के खाते दर्ज है यदि फिर भी अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो वह सब साक्ष्य सबुत एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमित वाद में ही तय होने है इस सरसरी कार्यवाही में अपीलाण्ट को कोई लाभ नही दिया जा सकता इसलिये अपील निरस्त योग्य है। अंत में निवेदन किया कि प्रस्तुत लिखित बहस स्वीकार की जाकर अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 09.10.2024 को पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही हो इसके लिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सके। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 09.10.2024 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पंजीकृत दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। उक्त भूमि का प्रकरण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट के मध्य पूर्व से विचाराधीन है। जिसमें हक अधिकार तय किये जाने है। परन्तु वादीया द्वारा दौराने वाद ही वादग्रस्त भूमि का दान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। इस प्रकार उक्त भूमि विवादित भूमि होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनना चाहिए था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनकर पारित करता तो निश्चय ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आती। उक्त भूमि के वाद विचाराधीन होने से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण विवादित था विवादित नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में नही होने से तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था। तहसीलदार को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के पश्चात ही नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 09.10.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार घासा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested